



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052024-254029
CG-DL-E-03052024-254029

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]
No. 312]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 3, 2024/वैशाख 13, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 3, 2024/VAISAKHA 13, 1946

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2024

सं. फा. 1-5/2024 (डीईबी-1).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 12 के खंड (ज) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः -

- लघु शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) तृतीय संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा (यूआईएन: 1/2024)।
(2) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 3 के,-

I खंड (क) के उप-खंड (i) में, पहले परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"परंतु कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग की आवश्यकताएँ जुलाई-अगस्त, 2024 और उसके बाद शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होंगी, जब तक कि अन्यथा अधिसूचित न किया जाए:"

II खंड (ख) में, -

(i) उप-खंड (क) में, दूसरे परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"परंतु कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग की आवश्यकताएँ जुलाई-अगस्त, 2024 और उसके बाद शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होंगी, जब तक कि अन्यथा अधिसूचित न किया जाए:"

(ii) उप-खंड (ख) में, मद (ii) में, पहले परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"परंतु कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग की आवश्यकताएँ जुलाई-अगस्त, 2024 और उसके बाद शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होंगी, जब तक कि अन्यथा अधिसूचित न किया जाए:"।

[विज्ञापन-III/4/असा./081/2024-25]

मनिष जोशी, सचिव यूजीसी

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में सं. मि. 1-1/2020 (डेब-I) दिनांक 4 सितंबर, 2020 में प्रकाशित किए गए थे तथा पिछली बार फा. सं. 1-27/2021 (डीईबी-I) दिनांक 18 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2024

No. F. 1-5/2024 (DEB-I).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) with the previous approval of Central Government, the University Grants Commission hereby makes the following regulations to further amend the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Third Amendment Regulations, 2024 (UIN:1/2024).

(2) This shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020, in regulation 3,—

I. in clause (A), in sub-clause (i), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) and National Institutional Ranking Framework (NIRF) ranking requirements shall be valid for academic session beginning July-August, 2024 and onwards, unless notified otherwise:”;

II. in clause (B),—

(i) in sub-clause (a), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) and National Institutional Ranking Framework (NIRF) ranking requirements shall be valid for academic session beginning July-August, 2024 and onwards, unless notified otherwise:”;

- (ii) in sub-clause (b), in item (ii), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) and National Institutional Ranking Framework (NIRF) ranking requirements shall be valid for academic session beginning July-August, 2024 and onwards, unless notified otherwise:”.

[ADVT.-III/4/Exty./081/2024-25]

MANISH JOSHI, Secy. UGC

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 vide No. F. 1-1/2020(DEB-I) dated 4th September, 2020 and lastly amended vide F. No. 1-27/2021 (DEB-I) dated 18th July, 2022.